न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 148/2023 राजस्व वाद

01. छोगा पिता कालु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

01. मांगु पिता सोला गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नंदा पिता मांगु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नेनु पिता खेमा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. लच्छु पिता रूपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. सजी पत्नी मांगु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :—

1. श्री कन्हैया लाल सेन —–अधिवक्ता प्रार्थी / वादी
2. एकपक्षीय— —–प्रतिवादी संख्या 01 से 05
3. पेशकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 06

दिनांक— 01 / 08 / 2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद अजीतपुरा पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 77, 107/1, 111, 112, 114, 115, 116, 151, 152, 153 कुल किता 10, कुल रकबा 11.01 बीघा भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 76/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 11.06.2019 को हुआ, निर्णय की पालना में दिनांक 16.06.2020 को उक्त आराजी की पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 05 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 01.03.2019 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद अजीतपुरा पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 77, 107/1, 111, 112, 114, 115, 116, 151, 152, 153 कुल किता 10, कुल रकबा 11.01 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 06 वावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमावंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा०दी०)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 148/2023 राजस्व वाद

01. छोगा पिता कालू जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

01. मांगु पिता सोला गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नंदा पिता मांगु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नेनु पिता खेमा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. लच्छु पिता रूपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजी पत्नी मांगु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी—अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

वादीगण की ओर से श्री कन्हैया लाल सेन, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 01.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जावें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 ने सरहद अजीतपुरा पटवार हल्का आगदला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 77, 107/1, 111, 112, 114, 115, 116, 151, 152, 153 कुल किता 10, कुल रकबा 11.01 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)